

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 6/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर।		1. श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल प्रजापत निवासी सिलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही। 2. श्री पुष्पा देवी पत्नि श्री गोविन्द कुमार प्रजापत निवासी सिलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही। 3. श्री मंछाराम माली पुत्र श्री नगाराम माली निवासी सिलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपरिस्थिति :-

श्री चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ।

निर्णय

दिनांक : 10.02.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल प्रजापत को राशि रूपये 7,50,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी । अप्रार्थी ने अपनी निम्न जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया। श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल प्रजापत के नाम साम्यिक बंधक भूमि एवं निर्माण पट्टा नम्बर 4 दिनांक 01.05.1979 ग्राम सिलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही जिसका कुल क्षेत्रफल 1515 वर्ग फिट हैं।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 24.09.2019 को जारी किये गये ।

जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थियों के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिरोही में भी स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 7,50,000/- ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है । बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया । भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 7,50,000/- का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 24.09.2019 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है ।

दी सिक्चुराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्चुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan